

OFFICE OF THE

आयकर गणना प्रपत्र वर्ष 2021-22 (कर निर्धारण वर्ष 2022-23)

OLD REGIME

1	नाम काव्यविक	0	पद	0	PAN	0
2	आय - वर्ष 2021-22 में प्राप्त कुल वेतन (कर योग्य सुविधाओं के मूल्य सहित)				रु	0.00
3	गृह किराया धारा 10(13A) के अन्तर्गत एवं धारा 10(14) के अन्तर्गत अन्य भत्ते जो कर मुक्त हैं				रु	0.00
4					शेष (2-3)	रु 0.00
5	(i) मनोरंजन भत्ता धारा 16 (ii) के अन्तर्गत (अधिकतम सीमा रु 5000)			0.00		
	(ii) व्यवसाय कर धारा 16 (iii) के अन्तर्गत			0.00		
	(iii) स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) 50,000 (अधिकतम)			0.00		
6					शेष (4-5)	रु 0.00
7	(अ) गृह सम्पत्ति से आय: (1) स्वयं के उपयोग में - शून्य			0.00		
	(2) प्राप्त किराया रु			0.00		
	(ब) घटायें	किराये का 30%	गृह ऋण पर ब्याज	गृहकर	योग 7(ब)	
		0.00	0.00	0.00	0.00	
				शेष /+ (7(अ) एवं योग 7(ब) का)		रु 0.00
				कुल शेष -/+ (6 एवं 7)		रु 0.00
8						रु 0.00
9	बचत खाते पर ब्याज					रु 0.00
10	अन्य आय					रु 0.00
11	सकल आय			योग (8+9+10)		रु 0.00
12	घटाइये कटौतियाँ:- धारा 80C, 80CCC, 80CCD (1)					
	(A) अधिकतम सीमा 1,50,000/- (धारा 80CCE) (धारा 80CCD (2)) के अलावा					
	(i) राज्य बीमा (SI)	रु 0.00	(x) सरकारी पेंशन योजना में अशदान ECPF अधिकतम वेतन का 10% (धारा 80CCD(1))	रु 0.00		
	(ii) जीवन बीमा प्रीमियम (LIC)	रु 0.00	(xi) पेंशन प्लान हेतु अशदान (धारा 80CCC)	रु 0.00		
	(iii) राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC)	रु 0.00	(xii) राष्ट्रीय बचत पत्र पर अदत्त ब्याज	रु 0.00		
	(iv) लोक भविष्य निधि (PPF)	रु 0.00	(xiii) ट्यूशन फीस	रु 0.00		
	(v) राष्ट्रीय बचत स्कीम (NSS)	रु 0.00	(xiv) इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम	रु 0.00		
	(vi) सामान्य प्रावधानी निधि (GPF)	रु 0.00	(xv) स्थगित वार्षिकी (Deferred Annuity)	रु 0.00		
	(vii) सामूहिक बीमा प्रीमियम (G.Ins.)	रु 0.00	(xvi) पीएलआई (PLI)	रु 0.00		
	(viii) यू.एल.आई.पी./वार्षिक प्लान	रु 0.00	(xvii) अन्य जमा राशि (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	रु 0.00		
	(ix) गृह ऋण किस्त (HBA Premium)	रु 0.00	(xviii) सुकन्या समृद्धि योजना में जमा राशि	रु 0.00		
			योग [(i) से (xviii)]	रु 0.00		
			अधिकतम कटौती की राशि 1.50 लाख रुपए तक			रु 0.00
	(B) घटाइये- धारा 80CCD(2) नियोजित द्वारा पेंशन अंशदान की राशि (अधिकतम वेतन का 10% पृथक से छूट)					रु 0.00
	(C) घटाइये - धारा 80 CCD(1B) नवीन पेंशन योजना में अतिरिक्त अंशदान (अधिकतम रु. 50,000)					रु 0.00
			योग 12(A+B+C)			रु 0.00
13	अन्य कटौतियाँ					
	1 धारा 80 D, चिकित्सा बीमा प्रीमियम (स्वयं, पति/पत्नी व बच्चों के लिए रु 25000, माता-पिता के लिए रु 25000, सीनियर सिटीजन रु 50000)					रु 0.00
	2 धारा 80DD विकलांग आश्रितों के चिकित्सा उपचार (अधिकतम 75,000 तथा 80% या अधिक विकलांगता 125,000)					रु 0.00
	3 धारा 80DDB विशेष रोगों के उपचार हेतु कटौती (अधिकतम रु 40,000, सीनियर सिटीजन हेतु रु 1,00,000)					रु 0.00
	4 धारा 80E उच्च शिक्षा हेतु लिए ऋण का ब्याज					रु 0.00
	5 धारा 80C धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिये दान (क श्रेणी में 100 प्रतिशत एवं ख श्रेणी में 50 प्रतिशत)					रु 0.00
	6 धारा 80U स्थाई रूप से शारीरिक असमर्थता की दशा में (अधिकतम 75,000 तथा अधिनियम 1995 के अनुसार 125,000)					रु 0.00
	7 धारा 80 TTA बचत खाते पर अधिकतम ब्याज रु. 10,000					रु 0.00
	8 धारा 80 TTB वरिष्ठ नागरिकों को सभी ब्याज पर अधिकतम 50,000 रु.					रु 0.00
	9 धारा 80 GGA अनुमोदित वैज्ञानिक, सामाजिक, ग्रामीण विकास आदि हेतु दिया गया दान					रु 0.00
				कुल योग 13 (1 से 9 तक)		रु 0.00
14				कुल कटौती (12+13)		रु 0.00
15				कर योग्य आय (11-14)		रु 0.00
16	कुल आय की राशि को सम्पूर्ण करना (दस के गुणक में) धारा 288A					रु 0.00
17	आयकर की गणना उपरोक्त कालम 15 के आधार पर					
	1. OLD REGIME				2. NEW REGIME	
	एक व्यक्ति कर दाता	वरिष्ठ नागरिक (60 से 80 वर्ष तक)	80 वर्ष या अधिक आयु	0 - 2,50,000	0%	
	250,000 तक	Nil	3,00,000 तक	Nil	2,50,001 - 5,00,000	5%
	2,50,001-5,00,000	5%	3,00,001-5,00,000	5%	5,00,001 - 7,50,000	10%
	5,00,001-10,00,000	20%	5,00,001-10,00,000	20%	7,50,001 - 10,00,000	15%
	10,00,000 से अधिक	30%	10,00,000 से अधिक	30%	10,00,001 - 12,50,000	20%
					12,50,001 - 15,00,000	25%
					Above 15,00,000	30%
	(1) योग आयकर					रु 0.00
	(2) छूट धारा 87(I) (2.50 लाख से 5.00 लाख तक की कर योग्य आय पर आयकर की छूट अधिकतम रु. 12500 तक)					रु 0.00
	(3) शेष आयकर (1-2)					रु 0.00
	(4) शिक्षा उपकर 2% एवं उच्च शिक्षा के लिए अधिभार 2% (योग 4%)					रु 0.00
			कुल आयकर (3+4)			रु 0.00
18			घटाइये - राहत धारा 89 के तहत			रु 0.00
19			कुल शेष आयकर			रु 0.00
20	स्रोत पर आयकर कटौती का विवरण	सितम्बर 2021 तक रूपये	दिसम्बर 2021 तक रूपये	जनवरी 2022	फरवरी 2022	टी.डी.एस. एरियर आदि से रूपये
		0	0	0	0	0
						TDS योग
						रु 0.00
						Income Tax Payable/Refundable
						रु 0.00
	हस्ताक्षर कार्यात्मक					

Office of the

आयकर गणना प्रपत्र वर्ष 2020-2021 (कर निर्धारण वर्ष 2021-2022)

New Tax Regime

नाम कर्मचारी		पद		PAN :	
2 आय वर्ष-2020-21 में प्राप्त कुल वेतन (कर योग्य सुविधाओं के मुल्य सहित)					
3 गृह किराया, धारा 10(13-A) के अन्तर्गत एवं धारा 10(14)के अन्तर्गत अन्य मते जो कर मुक्त है।					
4					
5 (i) स्टैण्डर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) 50,000 (अधिकतम) धारा 16 (ia)					
(ii) मनोरंजन भत्ता धारा 16 (ii) के अन्तर्गत (अधिकतम सीमा रु 5000)					
(iii) व्यवसाय कर धारा 16 (iii) के अन्तर्गत					
6 योग (5)					
7 (अ) गृह सम्पत्ति से आय (1) एवं के उपयोग में - शून्य					
(2) प्राप्त किराया रु.					
(ब) घटाये					
किराये का 30%					
गृह ऋण पर ब्याज					
गृहकर					
योग 7(ब)					
8 शेष - / + (7(अ) एवं योग 7(ब) का)					
9 अन्य आय कुल शेष - / + (8 एवं 7)					
10 सकल आय					
11 घटाइये कटौतियाँ योग (8+9)					
(A) धारा 80C, 80CCC, 80CCD (1) अधिकतम कटौती की राशि					
(B) घटाइये - धारा 80CCD(2) नियोजित द्वारा पेंशन अंशदान की राशि (अधिकतम वेतन का 10%) पृथक से छूट					
(C) घटाइये - धारा 80CCD (1B) नवीन पेंशन योजना में अतिरिक्त अंशदान (अधिकतम रु. 50,000)					
12 अन्य कटौतियाँ योग 11(A+B+C)					
1 धारा 80D चिकित्सा बीमा प्रीमियम (स्वयं, पति/पत्नी व बच्चों के लिए रु 25000, माता-पिता के लिए रु 25000, सैनियर सिटीजन रु 50000)					
2 धारा 80DD विकलांग जाश्रितों के चिकित्सा उपचार (अधिकतम 75,000 तथा 80% या अधिक विकलांगता 125,000)					
3 धारा 80DDA विशेष रोगों के उपचार हेतु कटौती (अधिकतम रु 40,000, सैनियर सिटीजन हेतु रु 100,000)					
4 धारा 80E उच्च शिक्षा हेतु ऋण का ब्याज					
5 धारा 80G धार्मिक संस्थाओं आदि को दिये दान (क श्रेणी में 100 प्रतिशत एवं ख श्रेणी में 50 प्रतिशत)					
6 धारा 80U स्थाई रूप से शारीरिक असमर्थता की दशा में (अधिकतम 75,000 तथा अधिनियम 1995के अनुसार 125,000)					
7 धारा 80TTA बचत खाते पर ब्याज की अधिकतम छूट रु. 10,000 U/S 194(A)					
8 धारा 80TTB वरिष्ठ नागरिकों को सभी प्रकार के ब्याज पर अधिकतम छूट- 50000 रु U/S 194(A)					
9 धारा 80GGA अनुमादित वैज्ञानिक, सामाजिक, ग्रामीण विकास आदि हेतु दिया गया दान					
13 कुल कटौती (11 + 12) कुल योग 12 (1 से 9 तक)					
14 कर योग्य आय (10 - 13)					
15 कुल आय की राशि को तम्पूर्ण करना (दस के गुणक में) धारा 288A					
16 आयकर की गणना उपरोक्त कॉलम 15 के आधार पर					
60 वर्ष या अधिक आयु		वरिष्ठ नागरिक (60 से 80 वर्ष तक)		एक व्यक्ति कर दाता (आयु 60 वर्ष तक)	
3,00,000 तक	Nil	3,00,000 तक	Nil	2,50,000 तक	Nil
3,00,001-5,00,000	5%	3,00,001-5,00,000	5%	2,50,001-5,00,000	5%
5,00,001-7,50,000	10%	5,00,001-7,50,000	10%	5,00,001-7,50,000	10%
7,50,001-10,00,000	15%	7,50,001-10,00,000	15%	7,50,001-10,00,000	15%
10,00,001-12,50,000	20%	10,00,001-12,50,000	20%	10,00,001-12,50,000	20%
12,50,001-15,00,000	25%	12,50,001-15,00,000	25%	12,50,001-15,00,000	25%
15,00,000 से अधिक	30%	15,00,000 से अधिक	30%	15,00,000 से अधिक	30%
(1) योग आयकर					
(2) छूट धारा 87(A) (250 लाख से 5 लाख तक की कर योग्य आय पर आयकर की छूट अधिकतम रु. 12500 तक)					
(3) शेष आयकर (1-2)					
(4) शिक्षा उपकर 2% एवं उच्च शिक्षा के लिए अधिभार 2% (योग 4%)					
17 घटाइये - राहत धारा 89 के तहत कुल आयकर (3+4)					
18 कुल शेष आयकर					
19					
आयकर कटौती का विवरण	सितम्बर 2020 तक रूपये	अक्टूबर से दिसम्बर 2020 रूपये	जनवरी 2021 रूपये	फरवरी 2021 रूपये	टी.डी.एस. रूपये
कुल टैक्स कटौती योग कॉलम 19					
Income Tax Payble/Refundable					